रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042024-253481 CG-DL-E-01042024-253481

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] No. 91] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 30, 2024/चैत्र 10, 1946 NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 30, 2024/CHAITRA 10, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2024

मामला संख्या- ओआई - 29/2023

विषय: चीन जन. गण. में उत्पन्न या निर्यात किए गए " प्रेटिलाक्लोर के किसी भी रूप और उसके मध्यवर्ती - 2,6-डायथाइल-एन- (2-प्रोपॉक्सी एथिल) एनिलिन (जिसे पेडा के नाम से भी जाना जाता है) " के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच की शुरुआत।

फ.स. 6/31/2023-डीजीटीआर.—1. इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड (इसके बाद आवेदक के रूप में संदर्भित) ने समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिस आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षित का निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के नियमों के अनुसार निर्दिष्टि प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (इसके बाद "विषय देश" के रूप में संदर्भित) से उत्पन्न या निर्यात किए गए प्रेटिलाक्लोर के किसी भी रूप और उसके मध्यवर्ती - 2,6-डायथाइल-एन- (2-प्रोपॉक्सी एथिल) एनिलिन (जिसे पेडा के नाम से भी जाना जाता है) (इसके बाद

2348 GI/2024 (1)

'संबंधित वस्तु' या 'विचाराधीन उत्पाद' के रूप में संदर्भित) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और उचित पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबंधित देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और भौतिक क्षति का खतरा हो रहा है और उन्होंने संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

- 3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद अपने किसी भी रूप में प्रेटिलाक्लोर और इसका मध्यवर्ती 2,6-डायथाइल-एन- (2-प्रोपॉक्सी एथिल) एनिलिन; (जिसे पेडा के नाम से भी जाना जाता है)
- 4. प्रीटिलाक्लोर एक तरल रसायन है जिसका उपयोग चावल की खेती में खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए उपयोग होने वाले शाकनाशी फॉर्मूलेशन के निर्माण में किया जाता है। यह एक रंगहीन और गंधहीन तरल है। प्रीटिलाक्लोर का उत्पादन करने के लिए आवश्यक बुनियादी कच्चे माल- 2- प्रोपोक्सीथाइल क्लोराइड और 2,6 डायथाइल एनिलिन हैं। तकनीकी रूप में प्रेटिलाक्लोर का उत्पादन करने के लिए पेड़ा को क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड और सोडा ऐश के साथ संसाधित किया जाता है।

माप की इकाई

5. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री किलोग्राम या मीट्रिक टन में व्यक्त वजन के आधार पर की जाती है।

उपयोग

- 6. पेडा का उपयोग प्रीटिलाक्लोर टेक्निकल का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। प्रीटीलाक्लोर टेक्निकल का उपयोग प्रीटीलाक्लोर फॉर्मूलेशन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग शाकनाशी के रूप में किया जाता है।
- 7. प्रेटिलाक्लोर एक पूर्व-उभरने वाला शाकनाशी है जो चावल में सभी प्रकार के खरपतवारों को दबा देता है।

टैरिफ वर्गीकरण

8. विचाराधीन उत्पाद का कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत एक समर्पित वर्गीकरण नहीं है और इसे निम्नलिखित कोड के तहत वर्गीकृत किया गया है- 3808 91 99, 3808 93 90, 3808 99 10, 3808 99 00, 29214290, 29221990 and 29222990.

सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9. वर्तमान जांच में शामिल पक्ष पीयूसी पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं और प्राधिकारी के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

10. आवेदकों ने दावा किया है कि जिन विषयगत वस्तुओं को भारत में पाटित किए जाने का आरोप लगाया गया है, वे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। दो उत्पादों के तकनीकी विनिर्देशों, गुणवत्ता, कार्यों और अंतिम उपयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करता है कि दोनों प्रथम दृष्टया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। इसलिए, वर्तमान जांच के उद्देश्य से, भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित विषय वस्तुओं को संबंधित देश से आयात किए जा रहे विषय माल के लिए 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है।

ग. विषय देश

11. वर्तमान आवेदन/याचिका के लिए विषय देश चीन जन. गण. हैं।

घ. जांच की अवधि

12. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023(12 महीने) है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और पीओआई की अवधि शामिल है।

ङ. घरेलू उद्योग और स्थिति

13. आवेदन इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वह प्रीटिलाक्लोर और पेडा दोनों का निर्माता है और उसने प्रस्तुत किया है कि उसके पास वर्तमान आवेदन दाखिल करने के लिए आवश्यक योग्यता है।

14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, उसने चीन पीआर में संबंधित उत्पादक/निर्यातक से विषय वस्तु का आयात किया है। आयात कैप्टिव खपत के लिए संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से पहले किए गए थे और पीओआई के दौरान नहीं किए गए थे। इसके अलावा, आवेदक संबद्ध देशों में किसी भी उत्पादक/निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं है। उचित परीक्षण के बाद प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक नियम 2(बी) के प्रावधानों के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमों के नियम 5(3) के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

क. सामान्य मूल्य

- 15. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (i) और एडी नियमों के अनुबंध- I के पैरा 7 के अनुसार, चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य लागत या घरेलू बिक्री दर के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। चीन जन. गण. में प्रचलित बिक्री मूल्य, केवल तभी जब प्रतिक्रिया देने वाले चीनी उत्पादक प्रदर्शित करते हैं कि उनकी लागत और मूल्य की जानकारी बाजार-संचालित सिद्धांतों पर आधारित है और एडीडी नियमों के अनुबंध- I के पैरा 1 से 6 के संदर्भ में उचित तुलना की अनुमित देती है, ऐसा न होने पर चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध- I के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- 16. आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या कीमत या अन्य वैकल्पिक तरीकों का सहारा लेने से संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों को समायोजित करने के बाद उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार विषय वस्तु के घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है।

ख. निर्यात मूल्य

17. संबद्ध वस्तु के लिए निर्यात मूल्य की गणना डी॰जी॰ सिस्टम लेनदेन-वार आयात डेटा के आधार पर की गई है। उचित मूल्य समायोजन का दावा किया गया है कि कीमतों को पूर्व-कारखाना स्तर पर बनाया जाए ताकि वे सामान्य मूल्य के साथ तुलनीय हो जाएं।

ग. पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबद्ध देश से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. घरेलू उद्योग को हुई क्षित के आकलन के लिए आवेदकों द्वारा दी गई जानकारी पर विचार किया गया है। आवेदकों ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षित के संबंध में सबूत प्रस्तुत किए हैं, जो पूर्ण रूप से पाटित किए गए आयात की बढ़ी हुई मात्रा और भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में, मूल्य कटौती, मूल्य कम बिक्री और मूल्य दमन और घरेलू उद्योग पर निराशाजनक प्रभाव के रूप में हुई है। आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग के लिए हानिकारक मूल्य पर विचाराधीन उत्पादों के आयात में वृद्धि के परिणामस्वरूप बिक्री, लाभप्रदता, निवेश पर रिटर्न, इन्वेंट्री के संचय और क्षमता उपयोग के संबंध में उनके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि संबद्ध देश से पाटित किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है।

ज. पाटन रोधी जांच की शुरुआत

20. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तु का पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और इस तरह के कथित पाटन और क्षति के बीच कारण संबंध के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद और एडी नियमों के नियम 5 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार, प्राधिकारी इसके द्वारा संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विषय वस्तु के संबंध में किसी भी कथित पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन रोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए एक जांच शुरू करता है, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

झ. प्रक्रिया

21. उक्त नियमों के नियम 6 के तहत निर्धारित सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. जानकारी प्रस्तुत करना

- 22. सभी संचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते- adg14-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में और डेटा फ़ाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हो।
- 23. संबंधित देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से विषय देश की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को जो संबंधित वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें।
- 24. वर्तमान जांच में भाग लेने के इच्छुक कोई भी पक्ष इस जांच की शुरूआत अधिसूचना के प्रकाशन के 40 दिनों के भीतर या प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई विस्तारित अविध के भीतर नामित प्राधिकारी के साथ खुद को पंजीकृत कर सकता है। इच्छुक पार्टी के रूप में पंजीकरण के लिए बाद के चरण में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राधिकारी ऐसे अनुरोध के आधार पर अनुरोध की जांच करेगा और उचित समझकर उस पर विचार करेगा।
- 25. कोई अन्य इच्छुक पार्टी भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से जांच के लिए प्रासंगिक अपनी प्रस्तुतियाँ कर सकती है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पार्टियों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- 26. इच्छुक पार्टियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय (https://www.dgtr.gov.in/) की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें ताकि जानकारी के साथ-साथ संबंधित जाँच पड़ताल में आगे की प्रक्रियाओं से अपडेट और अवगत रहें।

ट. समय सीमा

- 27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर निम्नलिखित ईमेल पतों adg14-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए या नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित की जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।
- 28. सभी इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करें।

ठ. गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना

- 29. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले किसी भी पक्ष को नियमों के नियम 7 (2) के संदर्भ में उसी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता प्रतिक्रिया / प्रस्तुतियों की अस्वीकृति का कारण बन सकती है।
- 30. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुति (परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने होंगे।

- 31. गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" प्रस्तुतियों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के अंकन के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकारी द्वारा गैर-गोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य इच्छुक पक्षों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमित देने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 32. गैर-गोपनीय संस्करण को गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त हो जाती है (यदि अनुक्रमण संभव नहीं है) और उस जानकारी के आधार पर संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है। गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए तािक गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार की उचित समझ हो सके। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश संभव नहीं है, और कारणों का एक बयान कि सारांश क्यू संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
- 33. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।
- 34. गोपनीयता के दावे पर सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण के बिना या अच्छे कारण विवरण के बिना किए गए किसी भी निवेदन को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
- 35. इच्छुक पक्ष प्राधिकरण के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पक्ष द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

ड. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

36. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

ढ. असहयोग

37. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अविध के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, तो प्राधिकारी ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जैसा कि उचित लगता है।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2024

Case No. OI -29/2023

Subject: Initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Pretilachlor in any of its form & its intermediate -2,6- Diethyl-n-(2-propoxy ethyl) Aniline (also known as PEDA)" originating in or exported from China PR.

F. No. 6/31/2023-DGTR.—1. India Pesticides Limited (hereinafter also referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as "Rules"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "**Pretilachlor in any of its form & its intermediate – 2,6-Diethyl-n-(2-propoxy ethyl) Aniline (also known as PEDA)**" (hereinafter referred to as

"subject goods" or "product under consideration" or "PUC"), originating in or exported from **China PR** (hereinafter referred to as "subject country").

2. The applicant has alleged that material injury and threat of material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating in or exported from the subject country and has requested for the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

- 3. The product under consideration in the present petition is **pretilachlor in any of its form and its intermediate** "2,6-diethyl-n-(2-propoxy ethyl) aniline" (also known as PEDA).
- 4. Pretilachlor is a liquid chemical used to produce herbicides formulation for controlling weeds in rice cultivation. It is a colourless and odourless liquid. The basic raw materials required to produce pretilachlor are 2-Propoxyethyl Chloride and 2,6 Diethyl Aniline. PEDA is then processed with Chloro Acetyl Chloride and Soda Ash to produce pretilachlor in technical form.

Unit of measurement

5. The product under consideration is produced and sold in terms of weight expressed in Kgs or MT.

<u>Use</u>

- 6. PEDA is used to produce pretilachlor technical. Pretilachlor technical is used to produce pretilachlor formulation, which is used as a herbicide.
- 7. Pretilachlor is a pre-emergence herbicide that suppresses all types of weeds in rice.

Tariff Classification

8. The product under consideration does not have a dedicated classification under the Custom Tariff Act,1975 and have been classified under following codes -3808 91 99, 3808 93 90, 3808 99 10, 3808 99 00, 29214290, 29221990 and 29222990.

The customs classification code is indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.

9. The parties in the present investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of the circulation of the non-confidential version of documents filed before the Authority.

B. LIKE ARTICLE

10. The applicant has claimed that the subject good, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences in the technical specifications, quality, functions and end use of the two products. The Authority notes that the two are *prima facie* technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

C. SUBJECT COUNTRY

11. The subject country in the present petition is **China PR.**

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

12. The period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is 1st October, 2022 to 30th September,2023(12 months). The injury investigation period covers the periods 1st April 2020 - 31st March 2021, 1st April 2021 - 31st March 2022, 1st April 2022 – 31st March 2023 and the POI.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

- 13. The application has been filed by India Pesticides Limited. The applicant has claimed that it is producer of both the Pretilachlor & PEDA and has submitted that it has the requisite standing to file the present application.
- 14. As per the information submitted by the applicant, it has imported the subject goods from a related producer/exporter in China PR. The imports were made before the commencement of commercial production at plant and were intended for captive consumption and were not made during the POI. Further, the applicant is not related to any producers/exporters in the subject country or any importers of the subject goods in India. The Authority notes, after due examination, *prima facie* the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of the provisions of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria in terms of Rule 5(3) of the Rules.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

a. Normal Value

- 15. The applicant has claimed that in terms of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and Para 7 of the Annexure-I to the AD Rules, the normal value for Chinese producers may be determined based on the cost or domestic selling price prevailing in China PR, only if the responding Chinese producers demonstrate that their cost and price information are based on market-driven principles and allow for fair comparison in terms of paras 1 to 6 of Annexure-I to the ADD Rules, failing which, normal value for the Chinese producers must be determined based on paras 7 and 8 of Annexure-I to the Rules.
- 16. The applicant has also claimed that the data relating to cost or price in a market economy third country or recourse to other alternative methods is not available. The normal value has been, thereby, constructed based on the best estimates of the cost of the production of the domestic industry of the subject goods as per the best information available after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profits.

b. Export Price

17. The export price for the subject goods has been computed based on the DG System transaction-wise import data. Appropriate price adjustments have been claimed to make the prices at ex-factory levels so that they become comparable with normal value.

c. Dumping Margin

18. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

19. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury that took place as a result of the alleged dumping in the form of an increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production or consumption in India, price undercutting, price underselling and price suppressing and depressing effect on the domestic industry. The applicant has claimed that its performance has been adversely impacted in respect of sales, profitability, return on investment, accumulation of inventories and capacity utilization as a result of an increase in imports of the products under consideration at an injurious price for the domestic industry. There is sufficient *prima facie* evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject country.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

20. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

21. The principles as stipulated under Rule 6 of the Rules shall be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

- 22. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg14-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in and dd12-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
- 23. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
- 24. Any party interested to participate in the present investigation may register themselves with the Designated Authority within 40 days of the publication of the initiation notification of this investigation or such extended period as may be allowed by the Authority. Any request at a later stage for registration as an interested party shall not be entertained. The Authority on the basis of such request, will examine and consider the request, as appropriate.

- 25. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
- 26. Interested parties are further directed to keep regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well further processes related to the investigation.

K. TIME LIMIT

- 27. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses adg14-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in and dd12-dgtr@gov.in within thirty (30) days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
- 28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON A CONFIDENTIAL BASIS

- 29. Any party making any confidential submissions or providing information on a confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
- 30. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
- 31. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
- 32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
- 33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
- 34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
- 35. The interested party can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by other interested party within 7 days of the circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

36. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. NON-COOPERATION

37. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority